राजस्व आदेश अनुवृत्ति–पत्र
मामला क्रमांक 202511330400027/अ–62/2024–25
(गणेश प्रसाद यादव प्रति छ0ग0 शासन, ग्राम खोंगापानी)

(1)	(2)	(3)
18/02/2026	– प्रकरण प्रस्तुत। – आवेदक अनुपस्थित। – प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक गणेश प्रसाद यादव आ0 बालकृष्ण, निवासी वार्ड क्रमांक 13 खोंगापानी तह0 मनेन्द्रगढ़, जिला एम.सी.बी.(छ0ग0) ने अपने स्वामित्व खाते की भूमि ग्राम खोंगापानी स्थित खसरा नं0 383/10 रकबा 0.1600 हे0 में लगे कुल 180 सागौन के पेड़ों को काटने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। – वनपरिक्षेत्राधिकारी(सा.) मनेन्द्रगढ़, वनपरिक्षेत्र मनेन्द्रगढ़, जिला एम0सी0बी0 (छ0ग0) के पत्र क्र/2025/633, मनेन्द्रगढ़, दिनांक 08.09.2025 द्वारा परिक्षेत्र सहायक मनेन्द्रगढ़ के माध्यम से ग्राम खोंगापानी स्थित भूमि खसरा नं0 383/10 में कुल 180 (एक सौ अस्सी) वृक्षों की कटाई हेतु संयुक्त जांच प्रतिवेदन सह पंचनामा व प्रजातिवार वृक्षों की गणना सहित प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण में संलग्न – आवेदक द्वारा संबंधित भूमि का खसरा, बी–1 व नक्शा प्रस्तुत किया गया। उक्त भूमि आवेदक के खाते की भूमि है। – प्रकरण एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी मनेन्द्रगढ़, परिक्षेत्र सहायक मनेन्द्रगढ़ के जांच प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। अवलोकन में पाया गया कि आवेदक द्वारा ग्राम खोंगापानी स्थित खसरा नं0 383/10 रकबा 0.1600 हे0 में लगे कुल 180 सागौन के पेड़ों को काटने को कटवाना हेतु अनुमति चाहते है किन्तु प्रकरण में आवेदक द्वारा किस कार्य हेतु वृक्षों की कटाई कराना चाहते है तथा प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश वृक्ष स्वस्थ्य तथा इमारती किस्म के है जो पर्यावरण की दृष्टि से उपयोग है, जिन्हे कटा जाना आवश्यक नहीं	

6

प्रतीत होता है।

आवेदक द्वारा नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत कर 3300 वोल्ट बिजली के खम्भे का तार गया हुआ है जोकि पेड़ो से टकरा रहे है। जिससे किसी भी व्यक्ति के साथ अप्रिया घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है तथा आंधी तुफान चलने से पेड़ मकान पर गिर की संभावना होने के कारण वृक्षों को कटवाने का निवेदन किया गया है। शपथ पत्र प्रकरण में संलग्न।

– प्रकरण में शपथपत्र के आधार पर पृथक से वृक्षों की गणना मकान के आसपास एवं बिजली के खम्बे के आसपास के वृक्ष जिसको अप्रिय घटना की संभावना होने के कारण काटा जाना आवश्यक है, को चिन्हांकित कर उन वृक्षों की प्रजातिवार गणना प्रतिवेदन मांगया गया। प्रजातिवार कुल 80 सागौन वृक्षों का गणना प्रतिवेदन प्रकरण में संलग्न। गणना प्रतिवेदन उक्त आदेश का अभिन्न अंग है।

छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 के नियम 8 के अनुसार छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वामी अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर करवा सकेगा। सक्षम अनुशंसा प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डलाधिकारी पृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एव शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जायेगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे

जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग व्दारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग व्दारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी। उक्त प्रावधानों शर्तो को पूरा करने पर आवेदक गणेश प्रसाद यादव आ0 बालकृष्ण, निवासी वार्ड क्रमांक 13 खोंगापानी तह0 मनेन्द्रगढ़, जिला एम.सी.बी.(छ0ग0) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम खोंगापानी स्थित भूमि खसरा नं0 383/10, रकबा 0.1600 हे0 में स्थित सागौन के कुल 80(सागौन) वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा प्रारूप ''ड.'' में पृथक से अनुमति पत्र जारी की जाती हैं।

– आवेदक सूचित हो। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

18/02/2026

अ0वि0अ0(रा0)
मनेन्द्रगढ़

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मनेन्द्रगढ़, एम.सी.बी. (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0) मनेन्द्रगढ़
जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर(छ0ग0)

रा0प्र0क0 202511330400027 / अ–62 /
वर्ष 2024–25, ग्राम खोंगापानी

गणेश प्रसाद यादव आ0 बालकृष्ण,
निवासी वार्ड क्र. 13 खोंगापानी
तह0 मनेन्द्रगढ़ जिला एम.सी.बी.(छ0ग0) .... आवेदक

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ शासन ....अनावेदक

आदेश

(पारित दिनांक 18 / 02 / 2026)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक गणेश प्रसाद यादव आ0 बालकृष्ण, निवासी वार्ड कमांक 13 खोंगापानी तह0 मनेन्द्रगढ़, जिला एम.सी.बी.(छ0ग0) ने अपने स्वामित्व खाते की भूमि ग्राम खोंगापानी स्थित खसरा नं0 383 / 10 रकबा 0.1600 हे0 में लगे कुल 180 सागौन के पेड़ों को काटने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय में आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वनपरिक्षेत्राधिकारी(सा.) मनेन्द्रगढ़, वनपरिक्षेत्र मनेन्द्रगढ़, जिला एम0सी0बी0 (छ0ग0) के पत्र क्र / 2025 / 633, मनेन्द्रगढ़, दिनांक 08.09.2025 द्वारा परिक्षेत्र सहायक मनेन्द्रगढ़ के माध्यम से ग्राम खोंगापानी स्थित भूमि खसरा नं0 383 / 10 में कुल 180 (एक सौ अस्सी) वृक्षों की कटाई हेतु संयुक्त जांच प्रतिवेदन सह पंचनामा व प्रजातिवार वृक्षों की गणना सहित प्रतिवेदन में ग्राम खोंगापानी स्थित खसरा नं0 383 / 10 रकबा 0.1600 हे0 में लगे कुल 180 सागौन कुल 180 सागौन के पेड़ों को काटने को कटवाना हेतु अनुमति चाहते है किन्तु प्रकरण में आवेदक द्वारा किस कार्य हेतु वृक्षों की कटाई कराना चाहते है तथा प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश वृक्ष स्वस्थ्य तथा इमारती किस्म के है जो पर्यावरण की दृष्टि से उपयोग है, जिन्हे कटा जाना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है।

आवेदक द्वारा नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत कर 3300 वोल्ट बिजली के खम्भे का तार गया हुआ है जोकि पेड़ो से टकरा रहे है। जिससे किसी भी व्यक्ति के साथ अप्रिया घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है तथा आंधी तुफान चलने से पेड़ मकान पर गिर की संभावना होने के कारण वृक्षों को कटवाने का निवेदन किया गया है। शपथ पत्र प्रकरण में संलग्न। प्रकरण में शपथपत्र के आधार पर पृथक से वृक्षों की गणना मकान के आसपास एवं बिजली के खम्बे के आसपास के वृक्ष जिसको अप्रिय घटना की संभावना होने के कारण काटा जाना आवश्यक है, को चिन्हांकित कर उन वृक्षों की प्रजातिवार गणना प्रतिवेदन मांगया गया। प्रजातिवार कुल 80 सागौन वृक्षों का गणना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त वृक्षों का नाप–जोख कर प्रजातिवार वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	वृक्ष की प्रजाति	वृक्षों का माप / छाती की गोलाई	हालत
1	2	3	4
1	सागौन	86 CM	इमारती
2	सागौन	60 CM	इमारती
3	सागौन	60 CM	इमारती

क्र	वृक्ष की प्रजाति	वृक्षों का माप / छाती की गोलाई	हालत
1	2	3	4
41	सागौन	50 CM	इमारती
42	सागौन	52 CM	इमारती
43	सागौन	54 CM	इमारती

4	सागौन	62 CM	इमारती	44	सागौन	50 CM	इमारती
5	सागौन	78 CM	इमारती	45	सागौन	52 CM	इमारती
6	सागौन	71 CM	इमारती	46	सागौन	54 CM	इमारती
7	सागौन	70 CM	इमारती	47	सागौन	52 CM	इमारती
8	सागौन	76 CM	इमारती	48	सागौन	58 CM	इमारती
9	सागौन	60 CM	इमारती	49	सागौन	54 CM	इमारती
10	सागौन	66 CM	इमारती	50	सागौन	50 CM	इमारती
11	सागौन	74 CM	इमारती	51	सागौन	48 CM	इमारती
12	सागौन	64 CM	इमारती	52	सागौन	48 CM	इमारती
13	सागौन	60 CM	इमारती	53	सागौन	50 CM	इमारती
14	सागौन	78 CM	इमारती	54	सागौन	52 CM	इमारती
15	सागौन	72 CM	इमारती	55	सागौन	56 CM	इमारती
16	सागौन	60 CM	इमारती	56	सागौन	54 CM	इमारती
17	सागौन	60 CM	इमारती	57	सागौन	54 CM	इमारती
18	सागौन	60 CM	इमारती	58	सागौन	50 CM	इमारती
19	सागौन	62 CM	इमारती	59	सागौन	52 CM	इमारती
20	सागौन	58 CM	इमारती	60	सागौन	60 CM	इमारती
21	सागौन	66 CM	इमारती	61	सागौन	56 CM	इमारती
22	सागौन	66 CM	इमारती	62	सागौन	58 CM	इमारती
23	सागौन	60 CM	इमारती	63	सागौन	54 CM	इमारती
24	सागौन	76 CM	इमारती	64	सागौन	60 CM	इमारती
25	सागौन	62 CM	इमारती	65	सागौन	50 CM	इमारती
26	सागौन	56 CM	इमारती	66	सागौन	50 CM	इमारती
27	सागौन	64 CM	इमारती	67	सागौन	52 CM	इमारती
28	सागौन	54 CM	इमारती	68	सागौन	48 CM	इमारती
29	सागौन	70 CM	इमारती	69	सागौन	48 CM	इमारती
30	सागौन	58 CM	इमारती	70	सागौन	46 CM	इमारती
31	सागौन	62 CM	इमारती	71	सागौन	50 CM	इमारती
32	सागौन	70 CM	इमारती	72	सागौन	50 CM	इमारती
33	सागौन	50 CM	इमारती	73	सागौन	48 CM	इमारती
34	सागौन	64 CM	इमारती	74	सागौन	48 CM	इमारती
35	सागौन	50 CM	इमारती	75	सागौन	48 CM	इमारती
36	सागौन	54 CM	इमारती	76	सागौन	52 CM	इमारती
37	सागौन	60 CM	इमारती	77	सागौन	50 CM	इमारती
38	सागौन	62 CM	इमारती	78	सागौन	50 CM	इमारती
39	सागौन	52 CM	इमारती	79	सागौन	48 CM	इमारती
40	सागौन	54 CM	इमारती	80	सागौन	52 CM	इमारती
	कुल – 80 (सागवान) वृक्ष						

आवेदक द्वारा संबंधित भूमि का खसरा, बी–1 व नक्शा प्रस्तुत किया गया। उक्त भूमि आवेदक के खाते की भूमि है।

– प्रकरण एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी(सा.) मनेन्द्रगढ़, वनपरिक्षेत्र मनेन्द्रगढ़ जांच प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। अवलोकन में पाया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र व प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम खोंगापानी स्थित भूमि खसरा नं0 383/10 रकबा 0.1600 हे0 पर कुल 80 नग सागवान के वृक्षों को 3300 वोल्ट बिजली के खम्भे का तार एवं आंधी तुफान चलने से पेड़ मकान पर गिर की संभावना होने के कारण वृक्षों को कटवाने की अनुमति चाहता है।

अतः छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वामी अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा की जा सकेगी। वनमण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) मनेन्द्रगढ़ को उपलब्ध कराई जावेगी।

उपरोक्त शर्तो को पूरा करने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में संयुक्त जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम खोंगापानी स्थित भूमि खसरा नं0 383/10 रकबा 0.1600 हे0 में स्थित कुल 80 नग सागवन वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा पृथक से **प्रारूप "ड"** में अनुमति पत्र जारी की जाती हैं। आवेदक सूचित हो। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 18/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की पदमुद्रा से आदेश पारित एवं घोषित।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
मनेन्द्रगढ़, जिला एमसीबी(छ0ग0)